न्यायालय सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2242/2022

वीरेन्द्र कुमार पुत्र मदन लाल, निवासी ग्राम रसूला, थाना भुता जिला बरेली।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 सरकार ..... अभियोगी।

अपराध संख्या–385/2021
सत्र परीक्षण सं0 919/2022
अन्तर्गत धारा–3/25, 5/27 आयुध अधि0
थाना–जहानाबाद, जनपद पीलीभीत

आवेदक/अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार मुकदमा अपराध संख्या– 385/2021 सत्र परीक्षण सं0 919/2022 अन्तर्गत धारा–3/25, 5/27 आयुध अधि0 थाना–जहानाबाद, जनपद पीलीभीत में न्यायिक अभिरक्षा में है। उसकी ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को जमानत आवेदन पत्र पर सुना एवं अभिलेख का सम्यक परिशीलन किया गया।

3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 01.11.2021 को वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक कमलेश कान्त वर्मा मय हमराहियान के गिरफतार शुदा अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार के साथ थाना हाजा से बहवाले रपट सं0 32 समय 11.35 बजे रवाना होकर ज्योरा के पास नाला के पुल के पास आये तो गिरफतार शुदा अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार की निशानदेही पर आला कत्ल एक अदद तमन्चा नाजायज 315 बोर व एक अदद मोबाइल कीपैड सादा आईटेल संबंधित मु0अ0सं0 376/2021 अं0 धारा 302, 120 बी, 404, 411 भा0दं0सं0 थाना जहानाबाद जिला पीलीभीत बरामद किए ।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त को उक्त मुकदमें में झूठा फंसाया गया है। उपरोक्त वाद से संबंधित मुख्य अपराध मु0अ0सं0 376/2021 अं0 धारा 302,120 बी, 404, 411 भा0दं0सं0, थाना जहानाबाद जिला पीलीभीत में प्रार्थी की जमानत दिनांक 26.9.2022 को स्वीकार की जा चुकी है। कथित बरामदगी के समय पड़ोस की आबादी से किन्हीं दो स्वतंत्र साक्षियों को साक्ष्य हेतु नहीं बुलाया गया है। प्रार्थी पूर्व दोषसिद्ध नहीं है तथा दिनांक 01.11.2021 से कारागार में निरूद्ध है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

5. इसके विपरीत विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा है कि प्रार्थी अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 376/2021 अं0 धारा 302,120 बी, 404, 411 भा0दं0सं0, थाना जहानाबाद जिला पीलीभीत की घटना में प्रयुक्त आला कत्ल तमन्चा 315 बोर तथा एक कीपैड मोबाइल बरामद हुआ है। अतः जमानत आवेदनपत्र निरस्त किया जाए।

6. मैनें उभयपक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन करने के साथ साथ मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया।

7. प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त पर अभियोजन पक्ष का आरोप है कि दिनांक 01.11.2021 को वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक कमलेश कान्त वर्मा मय हमराहियान के गिरफतार शुदा अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार के साथ थाना हाजा से बहवाले रपट सं0 32 समय 11.35 बजे रवाना होकर ज्योरा के पास नाला के पुल के पास आये तो गिरफतार शुदा अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार की निशानदेही पर आला कत्ल एक अदद तमन्चा नाजायज 315 बोर व एक अदद मोबाइल कीपैड सादा आईटेल संबंधित मु0अ0सं0 376/2021 अं0 धारा 302, 120 बी, 404, 411 भा0दं0सं0 थाना जहानाबाद जिला पीलीभीत बरामद किए । उपरोक्त वाद से संबंधित मुख्य अपराध मु0अ0सं0 376/2021 अं0 धारा 302,120 बी, 404, 411 भा0दं0सं0, थाना जहानाबाद जिला पीलीभीत में प्रार्थी की जमानत दिनांक 26.9.2022 को

स्वीकार की जा चुकी है। उक्त जमानत आदेश की छाया प्रति दाखिल की गयी है। कथित बरामदगी के समय पड़ोस की आबादी से किन्हीं दो स्वतंत्र साक्षियों को साक्ष्य हेतु नहीं बुलाया गया है। प्रार्थी पूर्व दोषसिद्ध नहीं है तथा दिनांक 01.11.2021 से कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मेरी राय में आवेदक को जमानत दिए जाने के लिए यह उपयुक्त मामला है।

<u>आदेश</u>

8. अतः आवेदक/अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा रूपये 25,000/–रू0 का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू तथा निम्न आशय की अण्डरटेकिंग सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि अनुसार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

1. अभियुक्त प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।
2. आरोप तथा धारा 313 दं0प्र0सं0 के बयान जैसी सारवान तिथि पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।
3. न्यायालय जब भी आदेश करेगा, वह न्यायालय में उपस्थित होगा।
4. किसी साक्षी को प्रलोभित तथा प्रकोपित नहीं करेगा ।
5. जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेगा, तो इसकी सूचना न्यायालय को देगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में संबंधित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह उसकी जमानत निरस्त कर सकता है।

दिनांकः 15.10.2022

(सुधीर कुमार–**V**)
सत्र न्यायाधीश,
पीलीभीत।